Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

SCMS

N·S·D·C
National Skill Development Corporation
Transforming the skill landscape

SKILL COUNCIL FOR MINING SECTOR

Honing India's Mining Skills

कौशल परिषद् खनन क्षेत्र

डम्पर ऑपरेटर

Pocket Diary - Dumper Operator

SKILL COUNCIL FOR MINING SECTOR - SCMS
कौशल परिषद खनन क्षेत्र

National Skill Development Corporation

पोकेट डायरी – डम्पर

व्यक्तिगत जानकारी

नाम	:	....
पद	:	....
बी फॉर्म नं.	:	....
विभाग	:	....
निवास	:	....
		....
		....
ड्राइविंग लाइसेंस नं.	:	....
वाहन संख्या	:	....
ब्लड ग्रुप	:	....
पहचान चिन्ह	:	....
आपात कालीन संपर्क	:	श्री ....
फोन (कोड सहित)	:	....
विशेष रोग	:	हृदय रोग / रक्तचाप(उच्च / निम्न) / मधुमेह

डम्पर एवं टीपर ड्राइवर के लिए सुरक्षित कार्य करने की विधि

- ✓ खान प्रबंधक द्वारा अधिकृत चालक व अधिकृत वाहन ही खान सीमा के अन्दर प्रवेश करना चाहिये।
- ✓ टीपर/डम्पर चालू करने से पहले चेक करें :
  - अ) ऑयल लेवल व डीजल, रेडियेटर में पानी चेक करेगा।
  - ब) पार्किंग ब्रेक व सर्विस ब्रेक चेक करेगा।
  - स) सभी चेतावनी सुचक सही कार्य कर रहें हैं या नहीं यह चेक करेगा।
  - द) उपरोक्त किसी भी चीज में कोई कमी होगी तो वह इंजीनियर को सुचना देगा, लोग बुक एन्ट्री करेगा एवं उनके सही होने पर मशीन चलायेगा।
- ✓ डम्पर के पायदान पर खड़ा होकर किसी व्यक्ति को यात्रा नहीं करने देगा तथा अनाधिकृत व्यक्ति को डम्पर पर नहीं बिठायेगा।

- ✓ ड्राईवर अपने केबिन को साफ रखें तथा निम्न बातों का ध्यान रखें :
  - अ) मेनेजर द्वारा निर्धारित गति सीमा में वाहन को चलाये।
  - ब) शॉवेल ऑपरेटर द्वारा हॉर्न बजाये जाने एवं इशारा प्राप्त करने के बाद ही डम्पर को लोडिंग के लिये शॉवेल पर लगाये।
  - स) ट्रक/डम्पर चालक आगे जाते हुई किसी भी गाड़ी को पार करने की कोशिश नहीं करे, जब तक कि काफी दूर तक जाकर साफ–साफ दिखाई नहीं दें।
  - द) आगे जाने वाली गाड़ी को पार करते समय हॉर्न अवश्य बजाये।
- ✓ किसी भी सड़क अथवा रेल्वे लाइन को पार करने से पूर्व ट्रक/डम्पर चालक अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करेगा और दोने तरफ सड़क/रेल्वे लाइन पार करना सुरक्षित हुआ तो पार करे अन्यथा नहीं।

- ✓ ट्रक/डम्पर चालक इस बात का भी ध्यान रखेगा कि अपनी गाड़ी में निर्धारित मात्रा से ज्यादा न भरने दिया जाए, गाड़ी के डाले के बाहर पत्थर का कोई भी टुकड़ा लटका हुआ नहीं रहें। ओवर लोडिंग से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती हैं।
- ✓ विकट मोड़, भीड़ भरे क्षेत्र इत्यादी के पास पहुचने से पूर्व भोंपू बजाकर चेतावनी अवश्य देनी चाहिये।
- ✓ रिवर्सल के दौरान ऑटोमेटिक ओडियो विजुअल सिग्नल सही स्थिति में काम करना चाहिये।
- ✓ जहां तक संभव हो ढलान पर ट्रक/डम्पर को उल्टी दिशा में नहीं चलाये।
- ✓ जब ट्रक/डम्पर के लिये कोई कार्य न हो तो उसको गाड़ी खड़ी करने के लिये निर्धारित जगह पर ले जाकर खड़ा कर देना चाहिये।

- ✓ डम्पर के डाले के उठी हुई स्थिति में किसी भी व्यक्ति को डाले के नीचे आकर मरम्मत करने की इजाजत नहीं है, जब तक की डाले और चेसिस के बीच में लकड़ी के गुटके अथवा पाईप द्वारा डाले के अचानक गिर जाने की रोकथाम न कर दी गई हो।
- ✓ ट्रक/डम्पर चालक आगे जाती हुई गाडी को निर्धारित गति सीमा के अन्दर ही चलायेगा।
- ✓ ट्रक/डम्पर चालक आगे जाती हुई गाड़ी को पार करते समय हॉर्न अवश्य बजाना चाहिये।
- ✓ शॉवेल मशीन के पास पहुंचने से पहले ट्रक/डम्पर चालक हॉर्न बजाकर अपने आगमन कि सूचना देगा और मशीन के नजदीक तब तक नहीं जायेगा जब तक की शॉवेल चालक से वापसी में उचित ईशारा न मिल जाये।
- ✓ ट्रक/डम्पर लोडिंग के दौरान चालक अपनी सीट पर ही बैठा रहे। डम्पर से उतर कर इधर उधर घुमे नहीं।

- ✓ पारी के अन्त में अपने कार्य एवं मशीन की लॉग बुक भरें।

<u>आधुनिक यातायात नियम</u>

नियम 1 : विधि :

- ✓ माईन्स मैनेजर की अनुमति के बिना कोई भी वाहन खदान क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
- ✓ मैनेजर द्वारा अधिकृत किये व्यक्ति के अलावा कोई भी किसी प्रकार का वाहन नहीं चलायेगा।
- ✓ कोई भी ड्राइवर जो नियमित कार्य पर नहीं हो वो वाहन चलाने से पूर्व मैनेजर से अनुमति लेगा।

नियम 2 : गति सीमा

- ✓ माइन्स क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति 25 किमी प्रति घण्टा की गति से अधिक गति पर वाहन नहीं चलायेगा।
- ✓ जहां रोड़ खराब हो या आगे रास्ता साफ दिखाई न दे या मौसम खराब होने पर ड्रायवर गति को उस सीमा तक कम करेगा कि वाहन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

नियम 3 : मार्ग का अधिकारी

- ✓ सभी ड्राइवर अन्य वाहन को अपने दांई ओर साईड देंगे।
- ✓ सभी ड्राइवर इमरजेंसी वाहन जिस पर कि लाल लाईट लगी हुई हो को पहले आगे निकलने के लिए रास्ता देंगे।
- ✓ हल्के वाहन को भारी वाहन के आगे निकलने के लिए रास्ता देंगे।
- ✓ चालक अपने वाहन को सुरक्षित रखते हुए पीछे के वाहन को आगे निकलने के लिए रास्ता देंगे।

नियम 4 : पार्किंग एवं वाहन खड़ा करना

- ✓ ड्राइवर अपने वाहन को इस प्रकार खड़ा करे जिससे अन्य वाहन को चलाने में अवरोध पैदा न हो।
- ✓ ड्राइवर अपने वाहन को मोबाईल वाहन के 30 मीटर परिधि क्षेत्र में या शॉवेल के स्विंग सर्कल क्षेत्र में ओपरेटर की अनुमति के बिना खड़ा नहीं करेगा।

- ✓ ड्राइवर अपने वाहन को किसी अन्य वाहन के पीछे या आगे खड़ा नहीं करेगा।
- ✓ वाहन को चलाने से पूर्व ड्राइवर यह सुनिश्चित कर ले कि आगे रास्ता साफ है।
- ✓ हल्के वाहन के ड्राइवर अपने वाहन को पार्किंग करते समय निम्नलिखित ध्यान रखें :
    - वाहन का इंजन बंद हो।
    - वाहन फर्स्ट या रिवर्स गियर में छोड़े।
    - वाहन के हेण्ड ब्रेक लगायें।
    - भारी वाहन के आगे या पीछे खड़ा न करें।
    - शॉवेल के 30 मी. परिधि क्षेत्र में खड़ा न करें।
    - अगर किसी भी कारण वाहन को प्रतिबंधित क्षेत्र या शॉवेल के स्विंग क्षेत्र में खड़ा करना पड़े तो इसकी सूचना संबधित ऑपरेटर को अवश्य दें।
    - अगर वाहन ढ़लान या चढ़ाई पर खड़ा करना पड़े तो पहिये के आगे पीछे स्टॉपर जरूर लगायें।

नियम 5 साधारण बातें

- ✓ वाहन को ऑपरेट करने से पूर्व यह जांच लें कि वाहन हर प्रकार से माइन्स में चलने योग्य है।
- ✓ वाहन को इलेक्ट्रिक केबल, एयर होज पानी के पाईप पर तब तक न चढ़ायें जब तक कि वो पूरी तरह सुरक्षित न हो।
- ✓ वाहन के अंदर बिना अनुमति के किसी और व्यक्ति को न बैठायें।
- ✓ वाहन में सीट बैल्ट हो एवं परिचालन के समय इसे पहनकर रखें।
- ✓ कोई वाहन ब्रेकडाउन हो तो लाल बत्ती जलती रहे।
- ✓ रात्रि में चलने वाले वाहन के लिये यह सुनिश्चित करें कि इसकी हैड लाईट, डिपर, बैकलाईट चालू स्थिति में हो।
- ✓ सभी पार्क किये गये वाहन को चलाने या आगे बढ़ाने के पूर्व एक हॉर्न देवें और यह सुनिश्चित करें कि इसके आस पास कोई व्यक्ति अथवा अवरोध नहीं है।

- ✓ रात्रि में सामने से वाहन आने पर डिपर दें।
- ✓ ऑपरेटर स्वयं वाहन की सफाई करें एवं रेडियेटर में पानी का लेवल व टायर में हवा के प्रेशर एवं डीजल की स्वयं जांच करेगा।
- ✓ डम्पर इस प्रकार भरा जाए कि पत्थर ऑवर हैंग न हो अगर कोई पत्थर या अन्य जो कि 1.2 मीटर से ज्यादा बाहर हो उस पर लाल बत्ती या लाल झण्डी लगी रहे।
- ✓ ड्राइवर रिवर्स लेते समय या किसी भी वाहन को ओवर टेक के लिये रास्ता देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि इसका वाहन सुरक्षित है।

नियम 6 ऑवर टेकिंग

- ✓ ड्राइवर ऑवर टेक करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें

  अ) गति सीमा न बढ़ायें।

  ब) रास्ता आगे तक क्लियर हो।

  स) क्रास या जंक्शन साफ दिखाई दे।

- ✓ भारी वाहन ढ़लान पर ऑवरटेक नहीं करेंगे, जब तक कि ऑवरटेक किये जाने वाले वाहन की गति 10 किमी/घण्टा से ज्यादा न हो।
- ✓ डिवाइडर पर वाहन को ओवरटेक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नियम 7 ट्राफिक सिग्नल

- ✓ ड्राइवर सभी चिन्हों का पालन करेंगे।
- ✓ चेतावनी चिन्हों का हर समय ध्यान रखा जाएगा।

नियम 8 वाहन की स्थिति

- ✓ ड्राइवर/ऑपरेटर अपने वाहन का उपयोग में लेने से पूर्व सुनिश्चित करले कि वाहन सुरक्षित तरीके से चलने के योग्य है एवं इस चेकिंग का रिकार्ड लोग बुक में रखें।
- ✓ कोई खराबी होने पर इसकी रिपोर्ट अपने अधिकारी को देंवे एवं जब तक ठीक न हो नहीं चलावें।

स्वास्थ्य और सुरक्षा जिम्मेदारियॉ

- ✓ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और अन्य सहकर्मियों की सुरक्षा के लिये व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, इसलिये यह बेहद जरूरी है कि हर कर्मचारी सुरक्षापूर्ण तरीके से कार्य करे, ताकि उसकी व सहकर्मियों की जान खतरे में न पड़ जाये।
- ✓ अगर आप कोई असुरक्षित स्थिति देखें, तो तत्काल वहां सुरक्षात्मक कार्यवाही करें। अगर उसमें सुधार लाना आपकी क्षमता में न हो तो अपने सुपरवाइजर को उस असुरक्षित स्थिति की रिपोर्ट दें।
- ✓ स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे कार्यों का ही हिस्सा है और आप इनका अनुपालन करें।
- ✓ कोई कार्य शुरू करने से पहले इस बारे में निश्चित हो लें कि आपने वह कार्य समझ लिया हैं। काम सुरक्षित ढ़ंग से करने में हड़बड़ी न करें।
- ✓ एकान्त क्षेत्रों में अकेले काम न करें।
- ✓ धुम्रपान निषेध क्षेत्र में धुम्रपान न करें।

- ✓ प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित तरीके इस्तेमाल करें। शॉर्टकट न अपनाएं या वर्जित कार्य उपकरणों का प्रयोग नहीं करें।

<u>प्राथमिक उपचार</u>

यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी अंग में चोट लग जाए तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिये। कभी कभी छोटे घाव पर यदि दवाई न लगाई जाए तो यह घाव बढ़ सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि आप अपने विभाग में रखे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की तमाम दवाईयों के बारे में एवं उनके इस्तेमाल के बारे में जानकारी रखें।

- ✓ जो कार्य पहले करना है उसे पहले, मगर शान्त चित्त से अतिशीघ्र करें।
- ✓ अगर तेजी से खून बह रहा है तो उसे रोकें।
- ✓ अगर कृत्रिम सांस की आवश्यकता है तो देवें एवं तब तक देते रहें जब तक कि डाक्टर न संभालें।
- ✓ सदमे का उपचार करें।

- ✓ चोट ग्रस्त का हौंसला बढ़ायें एवं चिन्ता में कमी करें।
- ✓ दुर्घटना स्थल पर भीड़–भाड़ को टालें।
- ✓ अत्यधिक उपलब्धि हांसिल करने की कोशिश नहीं करें।
- ✓ जब तक चोट ग्रस्त व्यक्ति ठण्ड की शिकायत न करे, कोट या कंबल नहीं लपेटें।
- ✓ अतिशीघ्र डॉक्टर को सूचना फोन द्वारा करावें व अन्य अधिकारियों को तुरंत खबर करावें।
- ✓ एम्बुलेन्स, स्ट्रेचर आदि से चोट ग्रस्त के परिवहन का इन्तजाम करावें।

''लापरवाही से खाई चोट, पैर लहूलुहान हुआ।
दे दी प्राथमिक चिकित्सा, यह आभार हुआ।।''

अग्नि से बचने के उपाय

- ✓ ज्वलनशील वस्तु इधर उधर न फेकें, उनको ठीक से बुझावे।
- ✓ प्लान्ट में जहां तहां आग न जलावे।
- ✓ स्टोर्स, गोदाम व बोरों के आस पास व अन्दर धुम्रपान न करें।
- ✓ पेट्रोल व डीजल टेंक व पम्प के पास धुम्रपान न करें व न करने दें।
- ✓ पड़ा हुआ कोल पाउडर आग पकड़ सकता है पाउडर के ढेर के उपर से जाने के पहले यह देख ले कि कोयले में आग तो नहीं लग रही है।
- ✓ बिजली के केबल्स व केबल ट्रेन्च के आसपास आग न जलावें।
- ✓ ज्वलनशील पदार्थ थोड़ी मात्रा में अलग अलग स्थान पर स्टोर न किए जावें।
- ✓ ग्लास, बोतल में पेट्रोल, डीजल्स इधर उधर न ले जावें।

सुरक्षा है जहां। सुख शांति है वहां।।

MOST PRECIOUS THING TO COME OUT OF A MINE
IS THE MINER
Always use your COMPLETE Safety Gear,
Never forget your SAFETY TRAINING